Ex.P.-455

कथन – श्री हरीश सोनी

थाना	—	राज्य आर्थिक अपराध अ
अपराध क्रमांक	—	09 / 2015
धारा	—	13(1) डी, 13(2) पी०सी० एक्ट 1988, 109, 120 बी भा०द०वि०
नाम व पिता का नाम	—	हरीश सोनी पिता श्री विजय सोनी
जन्म दिनांक	—	15.08.1975
पता	—	सत्यम विहार कालोनी गली नं. 06 महादेव घाट रोड़ रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०) मो0–88179–03619
व्यवसाय	—	कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम, कार्यालय जिला प्रबंधक कांकेर (छ०ग०) (19.02.2015 से निलम्बित)

----00----

मैं हरीश सोनी उपरोक्तानुसार, वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम कांकेर में सितम्बर 2014 से पदस्थ हूं, तथा वर्तमान में दिनांक 19.02.2015 से निलम्बित हूं।

मैं पूछे जाने पर बता रहा हूं कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में मेरा कार्य राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के बाद जमा किये जाने वाले चावल की गुणवत्ता की जांच करना था। चावल खरीदी का काम खरीफ ईयर कहलाता है। यह खरीफ ईयर माह नवंबर से शुरू होता है। जब तक किसानों से शासन द्वारा मार्कफेड के जरिये लिया गया धान की मिलिंग पूरी नहीं हो जाती, चावल खरीदी का कार्य उपार्जन केन्द्र में चलता रहता है। मार्कफेड के द्वारा किसानों से लिये गये धान का अनुबंध राईस मिलर्स के साथ किया जाता है। जिसके तहत राईस मिलर्स अरवा चावल की मिलिंग करता है। उठाए गये धान का 67 प्रतिशत चावल उनके द्वारा लाट क्रमांक के अनुसार 540 बोरी का एक लाट बनाकर शासन के मापदंड 25 प्रतिशत टुकड़े के अनुरूप मान का बताये अनुसार एफ.डब्लू. सी. के गोदाम में जमा किया जाता है। राईस मिलर्स द्वारा जमा किये गये चावल भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का है या नहीं इसके लिये तकनीकी सहायक के द्वारा रेन्डम सेम्पल लेकर परीक्षण किया जाता है, जिसमें विभिन्न घटक ब्रोकन/फारेन मेटर/डेमेज/पाखड/चाकी/लाल दाने/लोवर ग्रेन(एल०जी०) का प्रतिशत जांचा जाता है एवं केमिकल टेस्ट के द्वारा मिश्रण का परीक्षण किया जाता है। चावल लाट मापदंड का होने पर तकनीकी सहायक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट बनाया जाता है एवं विश्लेषण पंजी में दर्ज किया जाता है। परीक्षण के लिये कोई मशीन नहीं है, यह मेनुअली किया जाता है। पूर्व टेस्ट में पास किया गया चावल लाट कालान्तर में पुनः टेस्ट करने पर फेल हो सकता है। इस प्रक्रिया का फायदा जिला प्रबंधक/मुख्यालय के द्वारा अपने निजी हितों के लिये किया जाता

है। कस्टम मिलिंग के तहत उपार्जन केन्द्रों में चावल का उपार्जन माह नवम्बर दिसम्बर में शुरू होता है। तब कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए चावल लेने के दिशा निर्देश दिया जाता है। कुछ समय लगभग एक माह बीतने पर जब मिलर्स परेशान हो जाते है तब जिला प्रबंधक के पास अपने ऐसोसियेशन के माध्यम से जाते है जहां जिला प्रबंधक के द्वारा मुख्यालय की सहमति से राईस मिलर्स ऐसोसियेशन से साठ–गाठ किया जाता है जिसमें राईस मिलर्स से कम गुणवत्ता के चावल जमा करने के एवज में मुख्यालय एवं जिला प्रबंधक को दी जाने वाली रिश्वत राशि तय करते है एवं तकनीकी कर्मचारी को मौखिक आदेश दिया जाता है कि निर्धारित मापदंड से 1–2 प्रतिशत अधिक कनकी का चावल लिया जावे एवं केमिकल टेस्ट नहीं किया जावे। जिसके बाद मिलर्स 27–28 प्रतिशत कनकी का चावल बनाकर जमा करने लगते है। कई जिलों में 30 प्रतिशत से कम ब्रोकन के अंदर के चावल लाट को रिजेक्ट नहीं करने की हिदायत तकनीकी सहायक के दे दिया जाता है। जिसके तहत उसे कार्य करना पड़ता है। जिला प्रबंधक के निर्देशों का पालन नहीं करने पर तकनीकी सहायक को वहा से हटा दिया जाता है या उसके द्वारा लिये गये मानक स्तर के चावल लाट का सेम्पल लेकर मुख्यालय को लेख कर झूठी शिकायत कर दी जाती है जहां प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर मानक स्तर के चावल को भी किसी भी कारण वश अमानक दिखा दिया जाता है एवं तकनीकी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है।

जो तकनीकी कर्मचारी जिला प्रबंधक के आदेश का पालन करता है उसे ली गई रिश्वत की रकम में हिस्सा दिया जाता है एवं उससे वसूली भी कराई जाती है एवं उसके समस्त गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी प्रकार संबंधित राईस मिलर्स जिनके द्वारा खराब गुणवत्ता का चावल जमा किया जाता है उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जाता और न ही कोई कार्यवाही की जाती है। मुख्यालय द्वारा अधिकतम खाना पूर्ति की कार्यवाही के तहत राईस मिलर्स को उनके द्वारा जमा किये गये अमानक स्तर के चावल को रिप्लेस कर मानक स्तर का चावल जमा करने हेतु तकनीकी सहायक/जिला प्रबंधक को निर्देश दे दिया जाता है। मुख्यालय के द्वारा की गयी कार्यवाही राईस मिलर्स के प्रति औपचारिकता मात्र होती है। इसके विपरीत भारतीय खाद्य निगम में जब कोई राईस मिलर के द्वारा जमा किया गया चावल का कोई लाट यदि अमानक स्तर का पाया जाता है तो लाट रिप्लेसमेंट के साथ–साथ संबंधित मिलर्स को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है, [illegible] मिलर्स कस्टम मिलिंग नहीं कर पाता है। [illegible] राज्य के राईस मिलर्स द्वारा ब्लैक लिस्ट [illegible] के डर से भारतीय खाद्य निगम में निर्धारित गुणवत्ता के चावल जमा कराया जाता है। किन्तु मुख्यालय छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी राईस मिलर्स के विरूद्ध उक्त कार्यवाही नहीं किया गया है।

जिला प्रबंधक के द्वारा राईस मिलर्स से रिश्वत लेने का तरीका यह होता है कि यदि चावल उपार्जन केन्द्र में पदस्थ तकनीकी सहायक को उपार्जन हेतु आये गये चावल की कड़ाई से गुणवत्ता जांच करने कहा जाता है तो एनालिसिस [illegible] (कनकी [illegible]) की प्रक्रिया एवं मैनुअल टेस्ट से 3 प्रतिशत कनकी का वेरियेशन [illegible] और कनकी 25

प्रतिशत से 27 प्रतिशत हो जाती है। चावल का केमिकल टेस्ट कराया जाता है तो अधिकतम् 90 प्रतिशत तक चावल अमानक क्वालिटी का हो जाता है। यदि किसी राईस मिलर का चावल अमानक घोषित कर दिया जाए तो उस राईस मिलर को चावल लोड–अनलोड का हमाली चार्ज लगभग 3000रू., ट्रांसपोटिंग का लगभग 7000रू. तथा लोडिंग–अनलोडिंग वेट लास लगभग 2000रू. । इस तरह एक लाट में लगभग 12000रू का नुकसान हो जायेगा, जिससे राईस मिलर को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिये सभी राईस मिलर्स उपरोक्त नुकसान से बचने के लिये चावल जमा कराने के लिए बिना किसी हुज्जत के उनके द्वारा जमा कराये गये चावल की मात्रा का लगभग 8 से 12 रूपये प्रति क्विंटल की दर से रिश्वत की राशि राईस मिलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष व सचिव के माध्यम से जिला प्रबंधको को देकर चावल की गुणवत्ता में एडजस्टमेंट कराया जाता है।

कांकेर जिला जहां मैं पदस्थ था वहा तीन उपार्जन केन्द्र है साल भर में लगभग दस लाख क्विंटल चावल का उपार्जन हो जाता है। इस प्रकार जिला प्रबंधक यदि आठ रूपये प्रति क्विटल के हिसाब से चावल की गुणवत्ता के एडजस्टमेंट के लिये राईस मिलर्स से रिश्वत लेता है तो साल भर में 80 लाख रूपये कमा लेता है। इस 8रू. में से जिला प्रबंधक दो रूपये स्टाफ में बांटता है और 4रू. उपर के अधिकारियों के लिये मुख्यालय भेज देता है। बाकि 2रू. वह खुद अपने लिये रखता है। इस बंदरबांट की गणना करने पर 80 लाख में से 20 लाख रूपये जिला कार्यालय में पदस्थ निचले स्टाफ को, 20 [illegible] करीब स्वतः के लिये और 40 लाख रूपये तक मुख्यालय भेज दिया जाता है। मुझे [illegible] को उपार्जन का कार्य दिया गया था, अतः मुझे जिला प्रबंधक या मुख्यालय से उक्त बंदरबांट की कोई राशि नहीं मिली है।

जिला प्रबंधक द्वारा अवैध कमाई का दूसरा जरिया यह है कि गोदाम में जगह ना रहने की स्थिती में जिला प्रबंधक द्वारा स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के शाखा [illegible] को पत्र लिखकर अतिरिक्त गोदाम आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। [illegible] वेयर हाउस शाखा प्रबंधक द्वारा गोदाम एलाट किया जाता है। नये गोदाम एलाटमेंट का पत्र जारी करने में जिला प्रबंधक [illegible] टालमटोली करता है और राईस मिलर्स को गोदाम में जगह नहीं है कह कर माल लेने से इंकार करता है। इस पर राईस मिलर्स जिला प्रबंधक को कुछ रिश्वत देते है तब जाकर जिला प्रबंधक नये गोदाम का आवंटन [illegible] जिला प्रबंधक अपने स्तर पर अवैध कमाई कर लेता है [illegible] कितना पैसा कमा लेता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

इसके अलावा [illegible] के लिये भी रिश्वत ली जाती है। एल0आर0 टी0 का [illegible] ट्रांसपोर्टेशन होता है। [illegible] द्वारा हर जिले में [illegible] चावल के परिवहन के लिये टेंडर आयोजित कर के परिवहनकर्ता नियुक्त करती है। परिवहनकर्ता जिले के गोदामों में [illegible] चावल को जिला प्रबंधक के निर्देशानुसार अन्य जिलों में परिवहन करते है। जिला प्रबंधक द्वारा अन्य जिले से [illegible] गोदामों

में जगह रिक्त होती है से चर्चा कर अन्य जिले में चावल परिवहन करने हेतु मुख्यालय से पत्राचार कर अनुमति प्राप्त करते है। एल0आर0टी0 हेतु (एक जिले से दूसरे जिले में चावल परिवहन) जिला प्रबंधक द्वारा मुख्यालय की सहमति से ट्रांसपोर्टर एवं राईस मिलर्स से चर्चा कर एक निश्चित राशि (जो लगभग 5रू. प्रति क्विंटल तक होती है) की रिश्वत तय करता है और फिर अपने जिले के गोदाम भर जाने से चावल ऐसे जिला में जहां के गोदाम खाली है और पी0डी0एस0 का चावल बंट सकता है वहां परिवहन के लिये मुख्यालय से पत्राचार करता है और उनके लिखित अनुमति लेकर अपने गोदाम से चावल संबंधित जिला में परिवहन करवा देता है। पुनः अपने खाली हुए गोदाम में राईस मिलर्स से चावल उपार्जन कर खाली गोदाम में जमा कराने लगता है। इस खेल में मिले 5रू. प्रति क्विंटल में से एक रूपया चावल भेजने वाला जिला प्रबंधक रखता है, दो रूपये जहा चावल भेजा गया उस जिले के जिला प्रबंधक को देता है और दो रूपया मुख्यालय वरिष्ट अधिकारी के लिये मुख्यालय प्रबंधक तक पहुंचा देता है। सभी जिला के जिला प्रबंधक द्वारा भ्रष्टाचार से हासिल रकम का मुख्यालय भेजे जाने वाला हिस्सा या तो स्वयं अथवा अपने विश्वस्त् तकनीकी सहायक (क्वालिटी इंस्पेक्टर) के माध्यम से मुख्यालय में पदस्थ श्री एस0एस0 भट्ट के पास पहूंचाते है। श्री शिवशंकर भट्ट उपरोक्त अवैध कमाई को एम0डी0 एवं उपर के अधिकारी तथा अपने अधीनस्थ को अपने हिसाब से बाट देता है। कुछ हिस्सा खुद के लिये रख लेते है। किसको कितनी रकम मिलती है इस बारे में नहीं बता सकता। कांकेर जिले में उपरोक्त बताये अनुसार जमा हुई रिश्वत की राशि जिला प्रबंधक श्री अशोक सोनी स्वयं श्री एस0एस0 भट्ट के पास पंहुचाते थे। जिला प्रबंधक कांकेर श्री अशोक सोनी द्वारा इस प्रकार जमा रिश्वत की राशि मुख्यालय पहुंचाने हेतु मुझे कभी नहीं दिया गया है। मैंने अपना कथन पढ़ा मेरे बताये अनुसार ही लिखा है।

दिनांक 13.03.2015

[illegible]
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़